न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 25 / 2021 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 01.09.2021

उनवान

1. रामी पिता चतरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी थापडियो का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकरलाल दत्तक पुत्र मियाचन्द जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी थापडियो का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. किशोर पिता हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी थापडियो का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थी

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट —प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री अभय चपलोत —अप्रार्थी

—ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 ः—

निर्णय दिनांकः 08.08.2023

—ःनिर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं आधिपत्य, उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त की आराजीयात गांव थैपडियों का खेडा प0ह0 चाकुडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके हाल आराजी संख्या 432 रकबा 0.20 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट0 स्थित है। सिबुत में हाल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस के साथ संलग्न है।

यह कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आ0सं0 432 में आने जाने एवं पहुंचने के लिए आराजी संख्या 315 से 314 में होकर आ0सं0 429 की उत्तर दिशा की मेर पर होकर हम प्रार्थीगण की आ0सं0 432 में पहुंचकर कृषि कार्य व उपयोग उपभोग अपने बाप दादाओ के समय से ही करते आ रहे है।

यह कि कॉलम संख्या 02 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात में अपने बाप दादाओ के समय से ही अप्रार्थी की आराजी संख्या 429 की उत्तर दिशा की मेर पर होकर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, कृषि औजार व ट्रेक्टर आदि ले जाने व कृषि फसल के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज लाने ले जाने प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में फसल बुवाई कर काश्त करते चले आ रहे है मगर अप्रार्थी ने दिनांक 13.08.2021 को प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात में फसल कटाई व काश्त कार्य करने के लिए अपने आराजीयात में अप्रार्थी की आराजी सं0 429 में होकर जाने लगे तो अप्रार्थी ने आने जाने के लिए मना कर दिया और प्रार्थीगण को मां बहनो की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और अप्रार्थी ने धमकी दी कि आयन्दा मेरी उक्त आराजी 429 की उत्तरी दिशा की मेर पर होकर गये तो तुम लोगो को जान से ही खत्म कर देंगे प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात पर ही आश्रित होकर फसल काश्त कर अपना भरण पोषण करते है एवं अप्रार्थी की आ0सं0 429 की उत्तर दिशा की मेर का रास्ता ट्रैक्टर द्वारा दिनांक 13.08.2021 को हकाई जुताई करके पत्थर के खम्भे खडे कर उस पर कांटेदार तार व जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया है इस कारण प्रार्थीगण को अपने आराजीयात मे आने जाने के लिए किसी भी दिशा से रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर फसल काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

भी नहीं कर पा रहे है एवं अप्रार्थी प्रार्थीगण की आराजीयात का रास्ता अवरूद्ध कर प्रार्थीगण की आराजीयात पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा है।

यह कि कॉलम संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने व फसल काश्त करने अप्रार्थी की आराजीयात संख्या 429 के उत्तर दिशा की मेर के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता यही है तथा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा आ0सं0 429 के पूर्व दिशा की मेर पर स्थित रास्ते पर होकर आने जाने के लिए रोका है और रोकने के बाद उक्त रास्ते को अप्रार्थी द्वारा हकाई जुताई कर व पत्थर के खम्भे खडे कर काटेदार तार व जाली लगाकर रास्ते के अलामात को नष्ट कर दिया है जिसको तत्कालीन स्थिति में करवा कर उक्त रास्ते को रेकार्ड में दर्ज कर प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए नहीं रोके इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिससे हम प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसों में नहीं आंकी जा सकती है।

यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी0एल0सी0 दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिए तैयार है।

यह कि दिनांक 13.08.2021 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में होकर आने जाने से रोका व उक्त रास्ते के अलामात को हकाई जुताई पत्थर के खम्भे खडे कर काटेदार तार व जाली लगाकर नष्ट कर दिया व मां बहनो की गाली गलोच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हुये जिससे प्रार्थना पत्र हेतुक पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की कि– पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का आदेश जारी फरमाया जावे कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 432 में आने जाने व खाली भरी बैलगाडी लाने ले जाने के लिए व फसल काश्त करने के लिए अप्रार्थी की आ0 सं0 429 की उत्तर दिशा की मेर पर रेकार्ड मे रास्ता कायम करके अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए नहीं रोके नही ऐसा कृत्य स्वयं करे न ही अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट आदि से भी नही करावे। नवीन रास्ता दिलाया जाकर अप्रार्थी की आराजी संख्या 429 की पूर्व दिशा की मेर पर रेकार्ड में व मौके पर रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अभय चपलोत का अधिकार पत्र प्रस्तुत। कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी ... हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ... एवं ... जमांबदी)

   प्रकरण में तहसी... अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा थेपडियो का खेडा की आ0न0 432 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   समस्त पक्षकारान को राजीनामा बाबत रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास किया तथा सहमति के प्रयास में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   कुल रकबा 40 × 4 = 160 वर्ग मीटर

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा थेपडियो का खेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 432 रकबा 0.20 हैक्ट0 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी संख्या 429 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा थेपडियो का खेडा की आ0 सं0 432 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन [illegible] के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता [illegible] जाये भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम [illegible] रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए [illegible] विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा थेपडियो का खेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 432 में आने जाने हेतु विपक्षी की मौजा थेपडियो का खेडा की आ.न. 429 है। जिसका रकबा 40 × 4 = 160 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 18.10.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 160 वर्गमीटर की डीएलसी दर 431332 × 0.0162 = 6901.32 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 13803/– रूपये अक्षरे तेरह हजार आठ सौ तीन रूपये राशि जो कि अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:00:52 IST
Reason: SelfAttested